सरसिरी हुक्म	शुद्धाजित न्याय गंगापुर हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र मु.नं.- 41/19	नम्बर अहकाम हुक्म में
	है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण में नियत पेशी 31-12-19 से पूर्व शीघ्र सुनवाई के लिए अप्रार्थी नं. 3 ता 8 को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं ना ही इनके नोटिस जारी करवाये गये है। इसलिए शीघ्र सुनवाई वास्ते मूल टी.आई. पक्षकार अप्रार्थी नं. 3 ता 8 को जरिये शीघ्र सुनवाई हेतु तलबी जारी होकर पत्रावली वास्ते शीघ्र सुनवाई दिनांक 31-12-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
31-12-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 6.1.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
6-1-20	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 7.1.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
7-1-20	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय पक्षकारान उप. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई से सम्बन्धित मूल टी.आई. प्रार्थना पत्र संख्या 55/19 मे नियत पेशी 31-12-19 जा चुकी है एवं मूल प्रा.पत्र टी.आई. मे सुनवाई हेतु आज की पेशी नियत है। मूल प्रा.पत्र टी.आई. मे आज पेशी नियत होने से इस प्रा.पत्र शीघ्र सुनवाई को कोई औचित्य	

Scanned by CamScanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

भूडाराम बनाम गंगाराम

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 61 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नही है। अत: ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई को इस स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल टी.आर प्रा.पत्र के शामील मिसल हो।	
	07/01/2020 Lalit Meena, RAS सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) AC(FT)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Lalit Meena
Date: 2020.01.24 11:14:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: